झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

<u>संकल्प</u>

सं०सं०-3/नर्सिंग-4-4/06-27(12) दिनांक: 5/6/06

विषयः राज्य में नर्सिंग स्कूल एवं नर्सिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु नीति निर्धारण ।

राज्य में ए०एन०एम० एवं परिचारिका श्रेणी 'ए' के प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व भारतीय परिचारिका परिषद् (I.N.C), नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग/राज्य परिचारिका परिषद् द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता निर्धारित है, परन्तु राज्य में ए०एन०एम० एवं परिचारिका श्रेणी 'ए' के प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु नीति परिभाषित नहीं होने के कारण कठिनाईयाँ आ रही है ।

2. उपरोक्त संदर्भ में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारतीय परिचारिका परिषद् (I.N.C), द्वारा दिये गये दिशा-निदेश एवं नव गठित राज्य के परिपेक्ष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के उद्देश्य से निम्न रुप से निर्णय लिया गया । राज्य में नर्सिंग स्कूल एवं महाविद्यालय खोलने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन देने हेतु वांछित पात्र होंगे:-

I. <u>संस्था का स्वरुप</u>

(क) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का सांविधिक संस्थान ।

(ख) सोसायटी निबंधन एक्ट की धारा 1860(2 / 1882) के अधीन निबंधित सोसायटी ।

(ग) धार्मिक या चैरिटेबल एक्ट जो ट्रस्ट एक्ट 1882(2 / 1882) के अधीन या **WAKFS Act 1954(29/1954)** के अधीन निबंधित हो।

II. <u>भारतीय परिचारिका परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड **(Qualifying Criteria)**</u>

उर्पयुक्त ट्रस्ट / संस्थान या सोसायटी के बायॅलाज में नर्सिंग प्रशिक्षण का उद्देश्य निहित होना चाहिए ।

2. संस्था, सोसायटी या ट्रस्ट के पास कम से कम तीन एकड़ भूखण्ड का विधिवत् होना अनिवार्य होगा ।

3. नर्सिंग महाविद्यालय या स्कूल हेतु भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल के दिशा-निर्देश के अनुसार आधरभूत संरचना यथा- स्कूल/महाविद्यालय

का भवन, कार्यलय, प्राचार्य एवं अन्य स्टाफ के रहने की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए ।

4. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों एवं शिक्षकों का अनुपात **(I.N.C)** के अनुरुप होना चाहिए ।
5. ट्रस्ट / सोसायटी का विगत तीन वर्षों का आय - व्यय से संबंधित चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा निर्गत अंकेक्षण प्रतिवेदन ।
6. ट्रस्ट / सोसायटी का विगत तीन वर्षों के क्रिया-कलाप से संबंधित प्रतिवेदन।

III. <u>भारतीय परिचारिका परिषद् द्वारा निर्धारित चिकित्सा सुविधाएँ **(Clinical Facilities)**</u>

क्लिनिकल सुविधा हेतु कम से कम 50 शय्या का अपना हॉस्पीटल तथा परिचारिका श्रेणी 'ए' हेतु 200 शय्या का अथवा Tie up Hospital की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी । यदि 200 शय्या का एक ही हॉस्पीटल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 100-100 का दो हॉस्पीटल या 50-50 शय्या का चार हॉस्पीटल के साथ Tie up कराने की सुविधा होगी परन्तु 50 शय्या से कम हॉस्पीटल के साथ Tie up पर विचार नहीं किया जाएगा । उर्पयुक्त शय्या के अंर्तगत औषधि, शल्य, स्त्री प्रसव रोग, नाक कान गला, नेत्र, हड्डी रोग, चर्म एवं यौन रोग एवं पैथोलॉजी की सुविधा की अपेक्षा की जाती है ।

2. प्रशिक्षण विद्यालय एवं अस्पताल की दूरी 5 कि०मी० परिधि में होनी चाहिए तथा प्रशिक्षणार्थियों को हॉस्पीटल से ट्रेनिंग स्कूल आने जाने की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा ।

IV. <u>स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (No objection Certificate) निर्गत करने की शर्त तथा प्रक्रिया :-</u>

कंडिका I की संस्थापक स्वरुप पूरा करने वाली संस्था, जो भारतीय परिचारिका परिषद् की कंडिका II तथा III के निर्धारित मापदण्ड को पूरा करती हो या पूरा करने का विचार रखती हो, आवेदन दे सकती है । आवेदन पत्र के साथ ट्रस्ट, सोसायटी या संस्थान के निबंधन अभिलेख की छायाप्रति, भूमि के स्वामित्व के रुप में भूमि का क्रय संबंधित अभिलेख, करेक्शन स्लिप एवं भू-लगान रसीद संलग्न करनी होगी ।

2. भारतीय परिचारिका परिषद् के मापदण्ड के अनुरुप हॉस्पीटल उपलब्धता का साक्ष्य अथवा Tie up Hospital के साथ MOU की प्रति ।
3. आवेदन पत्र के साथ 2,00,000/- (दो लाख) रु० का बैंक गारंटी देनी होगी । यह बैंक गारंटी सदैव valid रहनी चाहिए ।
4. आवेदक ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा गलत सूचना या तथ्यों को छुपाकर स्वास्थ्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने या

भारतीय परिचारिका परिषद् के मापदण्डों के प्रतिकूल संस्था के संचालन की संपुष्टि होने की स्थिति में बैंक गारंटी की राशि जब्त कर ली जाएगी ।

5. संस्था को इस आशय का Affidavit देना होगाा कि वे बिना भारतीय परिचारिका परिषद् की मान्यता प्राप्त किये छात्राओं का प्रवेश नहीं लेंगे । यदि इस प्रकार के कृत की संपुष्टि होगी तो बैंक गारंटी जब्त करते हुए सरकार **(No Objection Certificate)** रद्द कर देगी तथा यथानियम कानूनी कार्रवाई करेगी ।
6. निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले नर्सिंग स्कूल एवं नर्सिंग महाविद्यालय को स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित **accredition agency** से प्रत्येक वर्ष अपने संस्थान का **evaluation/accredition** करना अनिवार्य होगा तथा इस **report** को सार्वजनिक करना होगा । संस्था को इस आशय का इकरारनामा विभाग के साथ करना होगा । यदि इस शर्त का उल्लंघन होगा तो बैंक गारंटी की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा **No Objection Certificate** रद्द कर दिया जायेगा ।
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र के साथ 5000 /- (पांच हजार) रु० का बैंक ड्राफ्ट जो निबंधक, झारखण्ड, राज्य नर्सिंग परिषद्, रिम्स कैम्पस, रांची के पक्ष में देय हो, सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

V. <u>आवेदन निष्पादन समिति:-</u>

प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के लिए निम्न रुप से समिति का गठन किया जाता है:-

1. सचिव, स्वास्थ्य, चि० शि० एवं प० क० विभाग - अध्यक्ष
2. निदेशक, स्वास्थ्य संवायें - सदस्य
3. निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची - सदस्य
4. विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड परिचारिका परिषद् - सदस्य
5. प्रभारी उप सचिव / संयुक्त सचिव(नर्सिंग प्रशिक्षण) - सदस्य सचिव

अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में यह समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी ।

VI. भारतीय नर्सिंग परिषद् के नियमानुसार परिषद् से संबद्धता प्राप्त होने के उपरान्त ही नर्सिंग स्कूल / महाविद्यालय नामांकन की कार्रवाई

प्रारंभ कर सकते हैं । परिषद् द्वारा निर्धारित सीटों से अधिक किसी भी परिस्थिति में नामांकन नही किया जायेगा एवं ट्रस्ट / संस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का अनुपालन बाध्यकारी होगी ।

VII. निजी नर्सिंग स्कूल / महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष संबद्धता कराने के लिए बाध्य होंगे । इसकी सहमति संस्था / सोसायटी को स्टाम्प पेपर पर देनी होगी ।

VIII. स्वास्थ्य, चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड, समय-समय पर आवश्यकता अनुरुप इस नीति में परिवर्तन / संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

<u>आदेशः-</u> आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रति सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(शिवेन्दु)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः-27(12) दिनांकः 5/6/06

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 500 प्रतियाँ स्वास्थ्य, चि० शि० एवं प० क० विभाग को उपलब्ध करायें ।

ह०/-
(शिवेन्दु)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः-27(12) दिनांकः 5/6/06

प्रतिलिपिः राज्यपाल सचिवालय / मुख्य मंत्री सचिवालय / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0 सेवायें / स्वास्थ्य विभाग के सभी संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / सचिव

के सचिव / निदेशालय, स्वास्थ्य सेवायें के सभी पदाधिकारी / निबंधक, झारखण्ड राज्य नर्सिंग परिषद्, रिम्स कैम्पस, रांची एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(शिवेन्दु)
सरकार के सचिव